बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश -

आ0 संख्या–17/विविध-08/11-185/17/ पटना, दिनांक– 20/12/12

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में सुपर स्पेशियलिटी विभागों की वरीयता सूची में पैत्रिक विभाग की वरीयता सूचि से अलग कर चिकित्सक शिक्षकों को नामित किये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । संबंधित चिकित्सक शिक्षकों के द्वारा सुपर स्पेशियलिटी विभाग में नामित किये जाने के दावे /प्रस्ताव के क्रम में उनके शैक्षणिक अहर्ता संबंधी कागजातों की जांच कर प्रतिवेदन देने के लिये निम्नरूपेण एक समिति का गठन किया जाता है :–

1.	श्री राजेन्द्र प्रसाद ओझा, अपर सचिव, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना	–	अध्यक्ष
2.	श्री विनोद कुमार शुक्ला, विधि पदाधिकारी, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना	–	सदस्य
3.	प्राचार्य, भागलपुर चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय, भागलपुर	–	सदस्य
4.	विभागाध्यक्ष, सर्जरी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना	–	सदस्य
5.	विभागाध्यक्ष, औषधि विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना	–	सदस्य
6.	विभागाध्यक्ष, शिशुरोग विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना	–	सदस्य
7.	प्रशासी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना	–	संयोजक
8.	प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–17, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना	–	सदस्य

प्रश्नगत मामला माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल अवमाननावाद से आच्छादित है । अतः समिति दिनांक 31.12.12 तक अपना प्रतिवेदन अनिवार्यरूप से प्रधान सचिव, स्वास्थ्य को समर्पित करेगी ।

20/12/12

(आशीष कुमार)
सचिव (प0क0),
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–17/विविध-08/11-185/17/ पटना, दिनांक– 20/12/12

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि–संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सचिव (प0क0), 20-12-12
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना